संख्या– 625/2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 **लखनऊ: दिनांक: 18 अप्रैल, 2022**

विषयः–कोरोना संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

विगत् कुछ दिनों में एन0सी0आर0 क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत कोरोना संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किये जाने हेतु निम्नवत् दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं :

(1) एनसीआर क्षेत्र–गौतमबुद्धनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत व बुलन्दशहर और लखनऊ के सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी व निजी कार्यालयों, न्यायालयों व स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया जाय।

(2) पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा पुलिस, नगर निकाय व अन्य विभागों के पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पुनः प्रभावी रूप से क्रियाशील कराकर प्रचार–प्रसार कराया जाय।

(3) वैक्सीनेशन के लिए एक विशेष अभियान चलाकर 12–14 वर्ष आयु, 15–17 वर्ष आयु एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के छूटे हुए और बूस्टर डोज हेतु अर्ह व्यक्तियों का टीकाकरण कराया जाय।

2. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन/अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या–625 (1)/2022–सीएक्स–3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।